

कार्यालय राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.14()आर-कैम्पा/अप्रमुवस/लेखा/बकाया दायित्व/2022-23/ 7485

बजट आवंटन आदेश-61

दिनांक: 28/10/2022

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या-APO Item No 55: Pending Liability of the year 2021-22 (NPV) में वर्णित बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु अधीनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्न बजट मद में निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2406-04-103-04-01-12

2406- Forest & Wildlife

04-Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(04)- Net present value of forest land

(01)- Compensatory Afforestation

12- Grant in Aid (Other than Salary)

A.P.C. Item No 55 : Pending Liability of the year 2021-22(NPV)

S.N c.	Name of Division	APO item name of year 2021-22	Target		Achievement		Pending Liability		Total (8+9)	Remarks
			Physical	Financial	Physical	Financial	Bills sent to Treasury but remain unpaid	Bills not Prepared against work done up to 31.3.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	उ.व.सं. झुगरपुर	25 : Assisted Natural Regeneration (ANR) (Restocking of Degraded Forest Areas) : (i) committed (1st year)	600	61.39800	600	60.06712	0.19800	0.00000	3.19800	उ.व.सं. झुगरपुर के पत्रांक 3855 दिनांक 11.10.2022
		25 : Assisted Natural Regeneration (ANR) (Restocking of Degraded Forest Areas) : (ii) committed (2nd year)	400	14.57200	400	14.33079	0.01478	0.00000	0.01478	
		33 : Nursery Infrastructure upgradation)	5	12.50000	5	12.03950	0.40345	0.00000	0.40345	
		31 : Forest Boundary Protection / Demarcation by erection of RCC Boundary Pillars	1100	25.85000	1024	17.74430	0.00000	4.50444	4.50444	
2	उ.व.सं. इ.गान.परि. स्टेशन-आ बीकानेर	22-Establishment, operation and maintenance of animal rescue centre and veterinary treatment facilities for wild animals(c) Running and maintenance of rescue centers for wild animals including provision for transportation, veterinary care, consultation, medicine etc	1	2.00000	1	1.32725	0.00000	0.44900	0.44900	उ.व.सं.इ.गान.परि स्टेशन आ बीकानेर के पत्रांक 7461 दिनांक 21.10.2022
Total									5.56967	

2406-04-103-06-01-12

2406- Forest & Wildlife

04-Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(06)-Other

(01)- Compensatory Afforestation

12- Grant in Aid (Other than Salary)

A.P.O. Item No. 55 : Pending Liability of the year 2021-22(NPV)

S.No.	Name of division	APO item name of year 2021-22	Target		Achievement		Pending Liability		(Amount in Lacs)	
			Physical	Financial	Physical	Financial	Bills sent to Treasury but remain unpaid	Bills not Prepared against work done up to 31.3.2022	Total (8+9)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	उ.व.सं. इ.गा.न.परि स्टेज-11 वीकानेर	51-CAMPA Work Auditing	0	0.21000	0.00000	0.03000	0.00000	0.09000	0.09000	उ.व.सं.इ.गा.न.परि स्टेज-11 वीकानेर के पत्रांक 7461 दिनांक 21.10.2022

2406-04-796-04-01-12
 2406- Forest & Wildlife
 04-Afforestation and Ecology Development
 796-Janjati Kshetra Upyojna
 (04)-Net Present Value of Forest Land
 (01)- Compensatory Afforestation
 12- Grant in Aid (Other than Salary)

A.P.O. Item No. 55 : Pending Liability of the year 2021-22(NPV)

S.No.	Name of division	APO item name of year 2021-22	Target		Achievement		Pending Liability		(Amount in Lacs)	
			Physical	Financial	Physical	Financial	Bills sent to Treasury but remain unpaid as on (31.03.2022)	Bills Not Prepared against work done up to 31.3.2022	Total (8+9)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	उ.व.सं. डूंगरपुर	27- Productivity Enhancement Operation 2. Cultural operation of Tendu advance Action	400	25.25600	400	25.21277	0.02587	0.00000	0.02587	उ.व.सं. डूंगरपुर के पत्रांक 3855 दिनांक 11.10.2022
2	उ.व.सं. इ.गा.न.परि स्टेज-11 वीकानेर	29-Eco-restoration & protection of forest area by construction of Pucca wall fencing (4 ft height) specially in the encroachment and mining prone areas	500	13.10000	500	4.51000	0.00000	8.10500	8.10500	उ.व.सं.इ.गा.न.परि स्टेज-11 वीकानेर के पत्रांक 7461 दिनांक 21.10.2022
कुल योग									8.13087	
									13.79054	

सामान्य शर्तें

- 1 वकाया दायित्व का भुगतान उसी मद में पूर्व में किये गये आवंटन से अधिक नहीं किया जावे एवं इससे सृजित परिसम्पत्ति को बर्साया जावे।
- 2 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()/ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रमुवसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- 3 उप वन संरक्षण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अन्तर्गत आवंटित वजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।
- 4 आवंटित वजट का व्यय कैम्पा Guidelines व Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- 5 ए.पी.ओ. वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्य पर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित हो एवं आवंटित वजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- 6 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी शर्त का उपयोग संभव नहीं हो तो शर्त शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- 7 आवंटित वजट की शर्त का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।

- 8 आर्वाटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आर्वाटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- 9 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/IFMS Accounting Rules एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संचारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 10 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- 11 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संचारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 12 वजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- 13 कैम्पा से आर्वाटित वजट उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हों, जिससे योजनाओं के परस्पर Overlapping से बचा जा सकें।
- 14 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवं एम् विभाग की प्रचलित प्रवृत्ति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- 15 कैम्पा मद के अन्तर्गत नये कार्यस्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

क्रमांक: एफ.14()आर-कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/वकाया दायित्व/2022-23/ 7486-7493
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य वन संरक्षक -उदयपुर/को प्रेषित करें लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आर्वाटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करें।
- 4 उप वन संरक्षक - डूंगरपुर/इ.गान.पं.। स्टेज-II धौकानेर।
- 5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हा गा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 6 कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय हाजा। AAO II
- 7 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु/रक्षित पत्रावली।

- 5d -
(शिखा मेहरा)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।
दिनांक : 28/10/2022

(अभिषेक शर्मा)
उप वन संरक्षक (कैम्पा)
राजस्थान, जयपुर।